संख्या-77/2017/3445/71-2-17-पी-38/2016

प्रेषक,

एन0एच0 रिजवी,
विशेष सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 22 नवम्बर, 2017**

विषय- एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में नवनिर्मित हिमैटोलॉजी विभाग हेतु पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0जी0आई0/चि0अ0/अधि0/5050/2017, दिनांक 01-09-2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के नवनिर्मित हिमैटोलॉजी विभाग में गैर शैक्षणिक संवर्ग के निम्नलिखित कुल 73 पदों को अस्थायी रूप से दिनांक 28-02-2018 तक के लिए, बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किए जाने की, राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनबैण्ड/ग्रेड वेतन
1	स्टाफ नर्स	60	वेतनबैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/-
2	मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट	10	वेतनबैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/-
3	मेडिकल सोशल वर्कर ग्रेड-2	01	वेतनबैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/-
4	डाईटीशिन	01	वेतनबैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/-
5	फार्मासिस्ट	01	वेतनबैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/-

1- सृजित किए जा रहे पदों के मानक/शैक्षिक अर्हता/भर्ती के स्रोत आदि के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, संस्थान का होगा।

2- नियमित वेतनमान के पदों पर भर्ती/नियुक्ति आदि की कार्यवाही निर्धारित व्यवस्था एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

3- उक्त पदों पर भर्ती एम0सी0आई0 मानक में दी गयी व्यवस्था एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर क्रमिक रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

2- उक्त पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0309-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।"

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1387/ दस-2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(एन0एच0 रिजवी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-77/2017/3445(1)/71-2-17-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
7- वित्त (ई)-3/वित्त (वे0आ0)-1/वित्त (आय-व्ययक)-1/नियोजन-4
8- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।